भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1633

11.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमरीका-कनाडा सीमा के निकट भारतीय परिवार की मौत

1633. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहाः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री मनोज तिवारी:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अमेरिका-कनाडा सीमा पर कनाडा की ओर कड़ाके की ठंड के कारण एक शिशु सहित मृत पाए गए चार भारतीयों की मौत से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अमेरिका और कनाडा के प्राधिकारियों के साथ कोई बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विदेशों में, विशेषरूप से यूरोप, अमेरिका और कनाडा में एक संगठित मानव दुर्व्यापार सिंडिकेट के बारे में अवगत है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मानव दुर्व्यापार को रोकने और इसमें संलिप्त लोगों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ङ) 19 जनवरी, 2022 को कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में कनाडा-यूएसए सीमा के पास एक परिवार के चार भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। कनाडा के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि इन चार व्यक्तियों की मृत्यु निरंतर खराब मौसम के कारण हुई है।

ओटावा स्थित हमारा उच्चायोग और टोरंटो स्थित कोंसलावास मृतक लोगों के परिवार को कोंसली सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस मामले पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हमारे मिशन और कोंसलावास नियमित रूप से संबंधित सरकारी प्राधिकारियों के संपर्क में हैं।

लोगों के आपसी संबंध कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत दोनों देशों के साथ नियमित रूप से कोंसली वार्ताएं करता है, जिनके दौरान प्रवास और दोनों देश एक-दूसरे के नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है।

गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी के खिलाफ कानून प्रवर्तन कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) को मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के सुग्राहीकरण और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के लिए परामर्श एवं दिशानिर्देश जारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 को भी संशोधित किया गया है ताकि अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाले मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370ए के तहत मानव तस्करी के मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत किया जा सके।

मानव तस्करी के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करने के लिए बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया और म्यांमार के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीटीओसी) का भी अनुसमर्थन किया है, जिसमें व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, निलंबन और सजा के प्रोतोकॉल का भी प्रावधान है।

***